

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र/कोविड-19/2020/247

दिनांक: 9.7.2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिलें, राजस्थान।

**विषय:**—मिशन लिसा एप से कोविड-19 का सर्वे व स्क्रीनिंग करवाने हेतु गुप्त कोड भेजने के क्रम में।

**संदर्भ:**— राजस्थान सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक: प. 1(1)चिस्वा/ 2/2020, दिनांक: 03.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिशन लाईफ सेविंग के तहत राजस्थान के समस्त जिलों में कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप व्यक्तियों की पहचान करते हुए "लिसा मोबाईल एप" के माध्यम से सर्वे व स्क्रीनिंग 10 जुलाई 2020 से आरम्भ किया जाना तय किया गया है। इस उद्देश्य से सभी जिलों को राज्य द्वारा दो दिवसीय ओरिएटेशन सह प्रशिक्षण दिनांक 06.07.2020 व 07.07.2020 को दिया गया। तदपुरांत प्रत्येक जिले द्वारा 08.07.2020 व 09.07.2020 को अपने अपने जिले में चिकित्सा प्रभारियों व सर्वेक्षकों (आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम) को प्रशिक्षित किया गया। इसी संदर्भ में सभी जिलों द्वारा दिनांक 10.07.2020 से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लिसा एप के माध्यम से कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप व्यक्तियों की पहचान करते हुए सर्वे व स्क्रीनिंग आरम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

लिसा एप से सर्वे व स्क्रीनिंग करवाने हेतु प्रत्येक यूजर को अपने अपने क्षेत्र का गुप्त कोड (secret keys) डालना पड़ेगा जिसे प्रत्येक जिले को भेजा जा रहा है। जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों (ब्लॉक्स, पीएचसी, सीएचसी) पर इन गुप्त कोड को अग्रेषित करते हुए सभी क्षेत्रों में सर्वे व स्क्रीनिंग आयोजित करवाएं जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

संलग्न:— जिले से सम्बन्धित लिसा एप के गुप्त कोड (secret keys)

अति० निदेशक (चि०प्र०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र/कोविड-19/2020/247

दिनांक: 9.7.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज०, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०)/निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज०, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक चि०प्र०/ग्रा० स्वा०/आरसीएच।
6. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. एस.एम.ओ. विश्व स्वास्थ्य संगठन (सर्वेक्षण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करवाने हेतु)।
8. टैक्नीकल सपोर्ट पार्टनर, निरोगी राजस्थान अभियान -खुशी बेबी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित को मेल कराना सुनिश्चित करावें।
10. रक्षित पत्रावली

अति० निदेशक (चि०प्र०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर